रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221461
CG-DL-E-31082020-221461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2626] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 2626] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

का.आ. 2957(अ).—केंद्रीय सरकार,अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप धारा (I) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (vi)तथा खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (xiv) और धारा 12 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को अधिसूचित करती है और निदेश देती है कि प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों में उक्त वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं का विनियमन सम्मिलित होगा,अर्थात्,

(क) वित्तीय उत्पादः

(i) बुलियन हाजिर सौदा संविदा ; और

(ii) अंतर्निहित बुलियन सहित बुलियन निपेक्षागारप्राप्तियां;

(ख) वित्तीय सेवाएं:

(i) बुलियन हाजिर सौदासंविदा के संबंध में अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन निपेक्षागार प्राप्तियों का व्यापार;

(ii) बुलियन हाजिर सौदा संविदा और बुलियन निपेक्षागार प्राप्तियों के संबंध में बुलियन वित्तपोषण, बुलियन आधारित ऋण, समपार्श्विक ऋणों के एवज में बुलियन ऋण, बुलियन वॉल्टिंग, समाशोधन और निपटान सेवाओं के उपबंध।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजना के लिए-

(i) "बुलियन" से कीमती धातुएं जिसमें सोना, चांदी या कोई कीमती धातु या गैर-आबंटित सोना, चांदी या कुछ ऐसी कीमती धातुओं के रूप में भी है जो प्राधिकरण इस संबंध में बुलियन व्यापार के संबंधित अच्छी डिलीवरी, गुणवत्ता, प्रमात्रा तथा किसी अन्य पहलू के संबंध में समय-समय पर संगत समझे, अभिप्रेत है,

(ii) "बुलियन हाजिर सौदा संविदा"सेऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित का उपबंध हो,

(क) बुलियन की वास्तविक डिलीवरी और मूल्य का भुगतान या तो संविदा की तारीख पर या अगले दिन किया जाता है, यदि संविदा के पक्षकार एक ही शहर या इलाके में निवास नहीं करते हैं तो बुलियन की डिलीवरी के लिए वास्तविक अवधि याउसके लिए धन के प्रेषण को उपर्युक्त अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है;

(ख) जब ऐसे बुलियन की देखरेख इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त निक्षेपागार द्वारा की जाती हो तो निक्षेपागार द्वारा बुलियन का अंतरण किसी लाभार्थी हकदार के खाते में से अन्य किसी लाभार्थी हकदार के खाते में किया जाता है;

(iii) "अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन निपेक्षागारप्राप्ति"से ऐसी बुलियन निपेक्षागारप्राप्ति जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के भीतर प्रचालनरत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बाजार (आईबीई) में सूचीबद्ध है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन होगी।

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2020

S.O. 2957(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (d)and sub-clause (xiv) of clause (e) of sub-section (1)of section 3 and clause (b) of sub-section (2) of section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies certain financial products and financial services and directs that that the powers and functions of the Authority shall include regulating the said financial products and financial services,namely:–

(A) Financial products:

(i) *bullion spot delivery contract;*

(ii) *bullion depository receipt with underlying bullion*;

(B) Financial services:

(i) trading in bullion depository receipts with underlying bullion in relation to bullion spot delivery contracts;

(ii) provision of bullion financing, bullion based loans, bullion loans against collateral, bullion vaulting, clearing and settlement services in relation to bullion spot delivery contracts and bullion depository receipts.

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(i) "bullion" shall mean precious metals including gold, silver or any other precious metal in the form of bars or unallocated gold, silver, or such other precious metals, as the Authority may consider relevant in this regard, relating to good delivery, quality, quantity, and any other aspect in relation to bullion trading , from time to time;

(ii) *"bullion spot delivery contract" shall mean a contract which provides for*-

(a) actual delivery of bullion and the payment of a price therefor either on the same day as the date of the contract or on the next day, the actual period for the delivery of the bullion or the remittance money therefor being excluded from the computation of the period aforesaid if the parties to the contract do not reside in the same town or locality;

(b) transfer of the bullion by the depositary from the account of a beneficial owner to the account of another beneficial owner when such bullion is dealt with by a depositary licensed by the Authority for this purpose;

(iii) *"bullion depository receipt with underlying bullion" shall mean such bullion depository receipt listed on the International Bullion Exchange (IBE) operating inside the International Financial Services Centre and is licensed by the Authority under the said Act.*

2. This notification shall be subject to the provisions of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and the rules and regulations made thereunder.

[F. No.3/7/2020-EM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA